

बिहार राज्य सहयोग कय-विक य संघ सीमित, पटना।

(बिस्कोमान)

आदेश

श्री गोपाल यादव, सहायक भंडार प्रबन्धक को जब अधिप्राप्ति-केन्द्र, हरिनगर(बेतिया) के प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे, तब मुख्यालय आदेश चया-ज्ञापांक-के0ले0बी/1678 दिनांक-23.11.2011 एवं ज्ञापांक-बी/1783 दिनांक-14.12.2011 का उल्लंघन कर दिनांक-23.11.2011 के बाद बैंक खाता से ₹3,00,550.00 की अवैध निकासी करने एवं वित्तीय अभियमितता बरतने के आरोप में तत्काल के प्रभाव से बिलम्बित किया जाता है।

2. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक भंडार प्रबन्धक जो प्रमंडलीय क्षेत्रीय पदाधिकारी कार्यालय, हजारीबाग(झारखंड) से सम्बद्ध है, को प्रमंडलीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, छपरा का दायित्व निर्वहन के लिए अधिकृत किया जाता है।
3. श्री यादव प्रमंडलीय क्षेत्रीय कार्यालय, छपरा का पूर्ण प्रभार श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक भंडार प्रबन्धक को सौंप देंगे। श्री सिंह को इस स्थानान्तरण/पदस्थापन के विरुद्ध किसी प्रभार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
4. निलम्बन अवधि में, इन्हें नियमानुसार जीवन चापन-भत्ता देय होगा।
5. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय वरीय क्षेत्रीय कार्यालय, बिस्कोमान, बेतिया निर्धारित किया जाता है।
6. इनके विरुद्ध आरोप-पत्र अलग-से निर्गत किया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक- 2014-0-श.स.प्र. - 33-रम - 309। दिनांक- 0-1-2014

प्रतिलिपि:-

1. श्री गोपाल यादव, सहायक भंडार प्रबन्धक, प्रमंडलीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान, छपरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
2. संबंधित प्रमंडलीय/वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
3. लेखा पदाधिकारी(स्थापना लेखा/केन्द्रीय लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
4. सभी पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/एन0 डाटा ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ।
6. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्री ओम प्रकाश सिंह, स.प्र.प्र. प्रमंडलीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, हजारीबाग का सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

सचिव
6.1.14